लैंगिक उत्पीड़न, भेदभाव एवं महिलाओं के प्रति हिंसा इत्यादि के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ आयोजित अर्द्धदिवसीय कार्यशाला

लैंगिक उत्पीड़न सम्बंधी जानकारीः–

महिला उत्पीडन अधिनियम 2013 के अन्तर्गत महिलाओं को उनके कार्यस्थल (एच0बी0टी0यू0, कानपुर) पर यौन उत्पीडन के खिलाफ संरक्षण प्रदान किया गया है। इस ऐक्ट का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक महिला को उनके साथ हो रहे यौन उत्पीडन के प्रति जानकारी प्रदान कर, उन्हें जागरुक एवं सशक्त बनाना है।

इस ऐक्ट के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैः–

1– कार्यस्थल के सम्बंध में 'पीडित महिला' का अर्थ चाहे वह किसी आयु की हो, जो यौन उत्पीड़न होने का आरोप लगाती है।

2– कार्यस्थल में सम्मिलित है– कोई भी विभाग, कोई भी निजी क्षेत्र का संगठन, छात्रावास, कोई खेल परिसर, संस्थान/विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोई स्थान।

3– 'यौन उत्पीडन' मे निम्न मे से कोई एक या अधिक अवांछित कार्य या व्यवहार शामिल है– शारीरिक सम्पर्क, यौन अनुग्रह या अनुरोध, अभद्र टिप्पणियाँ, अश्लील साहित्य दिखाना, यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर–मौखिक आचरण इत्यादि।

रोकथाम, निवारण एवं निषेध–

1– महिलाओं हेतु एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना नियोक्ता/विश्वविद्यालय प्रशासन का दायित्व है।

2– कोई भी पीडित महिला/छात्रा घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति (आई0सी0सी0), एच0बी0टी0यू0 को यौन उत्पीडन की शिकायत कर सकती है।

3– इस अधिनियम के तहत, आंतरिक शिकायत समिति मामले को 90 दिनों की अवधि के भीतर जॉच पूरी करेगी और आगे की कार्यवाही के लिए नियोक्ता/विश्वविद्यालय प्रशासन को अपनी सिफारिशें अग्रसारित करेगी।

4– झूठे आरोपों की भी उतनी ही गम्भीरता से जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

5– पीडित महिलाएँ/छात्रा, आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपनी हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित शिकायत दर्ज करा सकते है।

उक्त के अतिरिक्त पीड़ित महिला/छात्रा आंतरिक शिकायत समिति से सम्पर्क कर कानूनी कार्यवाही हेतु उचित मार्गदर्शन एवं जानकारी प्राप्त कर सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु लैंगिक उत्पीडन अधिनियम 2013 (download link: https://www.ugc.ac.in/pdfnews/7203627_UGC_regulations-harassment.pdf) का संदर्भ ग्रहण कर सकते है।

महिलाओं के प्रति भेदभाव एवं हिंसा सम्बंधी जानकारीः–

विश्वविद्यालय में **कार्यरत महिला अथवा अध्ययनरत छात्रा के साथ हिंसा अथवा भेदभाव किए जाने की स्थिति में पीड़ित महिला/छात्रा अपनी हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित शिकायत, विश्वविद्यालय कुलसचिव/सक्षम अधिकारी** के पास दर्ज करा सकती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 से 35 तक प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों के विषय में दिया गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 21 में महिलाओ के प्रति विशेष अधिकार प्रदान किए गए है।

लैंगिक उत्पीड़न से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराएँ–

धारायें	नियम
धारा–2	इसके अंतर्गत व्यधित महिला घरेलू कर्मकार व नियोजक और प्रत्यर्थी के द्वारा उत्पीडन
धारा–3	लैंगिक उत्पीडन का गठन
धारा–4	परिवाद समिति का गठन
धारा–5	जिला अधिकारी की अधिसूचना

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा प्रदत्त एजेन्सियाँ व विभाग, महिला उत्पीड़न के संरक्षण हेतु बनायें गये है जो कि निम्न है:–

एजेन्सी / विभाग	दूरभाष नं0
महिला हेल्प लाइन (भारत)	1091
एन0सी0डब्लू0	7827170170
उत्तर प्रदेश महिला कमिश्नर	0522–2306403
महिला हेल्प लाइन (उत्तर प्रदेश)	1090
सम्बन्धित पुलिस स्टेशन (नवाबगंज)	9454403740
पी0आर0बी0	112
साइबरक्राइम	1930

डा0 (अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समिति के समस्त सदस्यगण।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र संख्या–1978 / सत्तर–3–2021 दिनांक–19.08.2021 के संदर्भ में।
3. प्रो0 अशू यादव, समन्वयक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में ई–मेल आईडी बनाते हुये विभागों / संस्थानों / कार्यालयों को अपने स्तर से अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
4. प्रबन्धक / सचिव / प्राचार्य / प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को इस आशय से प्रेषित कि महाविद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुये उक्त से सम्बन्धित अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
5. समस्त डीन / निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्रभारी / कुलानुशासक / मुख्य वार्डन / वार्डेन / डी0एस0डब्ल्यू / अधिकारीगण / कर्मचारीगण को इस आशय से प्रेषित कि अपने विभाग के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुये उक्त से सम्बन्धित अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
6. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
7. प्रभारी, पी0एम0यू0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट के होम पेज पर प्रदर्शित कराने एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के कॉलेज लॉगिन पर अपलाड कराने का कष्ट करें।
8. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
9. वैय0 सहा0 प्रति–कुलपति।
10. वैय0 सहायक वित्त अधिकारी / कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक।
11. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

Phones : 2580044
2581280

E-mail-csjmu@kanpuruniversity.org
registrarcsjmuknp@gmail.com

-14-

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर-208024
KALYANPUR, KANPUR

Dated : 01 - 10 - 2018

Ref. No CSJMU/RCamp./5175/2018

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

विषय: विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षान्त समारोह के शुभ अवसर पर महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा शुभारम्भ किये गये **Grievance Portal** का **Login** एवं **Password** उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत हो कि 33वें दीक्षान्त समारोह में महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के Grievance Portal का शुभारम्भ किया गया है ।

उक्त Grievance Portal के शुभारम्भ से विश्वविद्यालय, महाविद्यालय व उनमें अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के मध्य दृष्टिगत विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त समस्या का निराकरण न होने की स्थिति में उक्त Portal के माध्यम से परिवेदना दर्ज करायी जा सकती है । इस हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org के होम पेज पर बने लिंक **"On-Line Grievance Portal"** पर Click कर प्रयोग किये जाने वाले Login ID एवं Password निम्नवत् है –

महाविद्यालय का नाम	-	CHRIST CHURCH P.G. COLLEGE, KANPUR
Grievance Portal का **Login ID**	-	GR_KN01
Grievance Portal का **By Default Password**	-	367215

सर्वप्रथम उक्त Password को अपनी सुविधानुसार बदलना अनिवार्य है । महाविद्यालय में अध्ययन कर चुके/अध्ययनरत छात्र/छात्राओं एवं महाविद्यालय की विश्वविद्यालय स्तर पर जो समस्यायें निस्तारित नहीं हो रही हैं उन समस्याओं की परिवेदना पूर्ण विवरणी सहित सम्बन्धित Portal के माध्यम से आप द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जा सकता है ।

उक्तानुसार कार्यवाहियों को सम्पन्न करने हेतु User Manual भी वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

भवदीय,

(डा० विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

-18-

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

Significance & uses of On-Line Grievance Redressal Portal

आन-लाइन शिकायत निवारण पोर्टल का महत्व एवं उपयोगिता

विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की समस्याओं को समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा On-Line Grievance Redressal Portal को विकसित किया गया है। इस Portal के महत्वपूर्ण तथ्य निम्न प्रकार है -

1. छात्र/छात्राओं को Portal में कार्य करने हेतु प्रथमबार अपना Registration कर User ID एवं Password जनरेट करना होगा। भविष्य में वह इसी User ID एवं Password से अपनी Grievance Portal पर पंजीकृत कर सकेगा।
2. सम्बद्ध महाविद्यालयों को User ID एवं Default Password विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, महाविद्यालयों को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व Default Password को परिवर्तित करना अनिवार्य होगा।
3. User को अपनी Grievance Upload करने के उपरान्त एक 10 अंकीय Grievance Reference Number मिलेगा, जिसे भविष्य में Grievance सम्बन्धी सूचनायें जानने हेतु प्रयुक्त किया जायेगा।
4. Grievance Redressal Portal के उपयोग से छात्र/छात्रायें/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय सभी कार्य सम्पादन के दृष्टिकोण से निम्नानुसार लाभान्वित होंगे -

अ. छात्र/छात्रायें

1. अध्ययनरत/अध्ययन कर चुके छात्र/छात्राओं को किसी भी समस्या के निराकरण हेतु विश्वविद्यालय आने की आवश्यकता नहीं है जिसे छात्र/छात्राओं के समय के साथ-साथ धन की भी बचत होगी।
2. सम्बन्धित शिकायत सीधे उस शिकायत के निराकरण करने वाले अर्थात शिकायत से सम्बन्धित पटल पर पहुँचेगी।
3. शिकायत पर कृत कार्यवाही से अभ्यर्थी को जानकारी प्राप्त होती रहेगी।
4. दूरभाष/डाक आदि में विलम्ब आदि का बहाना नहीं चल सकेगा।

क्र0पृ0उ0..

5. निर्धारित अवधि में शिकायत का निस्तारण होगा ।
6. छात्र/छात्राओं को अनावश्यक विभाग दर विभाग भटकर नहीं लगाना पड़ेगा ।
7. प्रत्येक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों तक अपनी समस्या को अविलम्ब पहुँचाने में समर्थ होंगे ।

ब. सम्बद्ध महाविद्यालय -

1. महाविद्यालयों की सम्बद्धता आदि की पत्रावलियों का निस्तारण आदि में विलम्ब या अन्य कारणों की शिकायतों का निराकरण अविलम्ब हो सकेगा ।
2. विश्वविद्यालय से होने वाले कार्यों के लिए जैसे - अंकतालिका सुधार, डिग्री नाम सुधार की जानकारी हेतु/कराने हेतु महाविद्यालय से ही कराया जा सकेगा विश्वविद्यालय आने की जरूरत नहीं है ।
3. समस्त शिकायतें तय समय के अन्तर्गत निस्तारित होगी ।
4. भुगतान से सम्बन्धित पत्रावलियों का निस्तारण अविलम्ब हो सकेगा ।

स. विश्वविद्यालय -

1. समस्त शिकायतों की मानीटरिंग उच्चाधिकारी स्वयं कर सकेंगे ।
2. जनसुनवाई/RTI का भार कम होगा ।
3. किस प्रकार की समस्याएं ज्यादा आ रही है उन पर स्थायी निराकरण करने के लिये उचित निर्णय लिया जा सकेगा ।
4. विश्वविद्यालय के अनेक विभागों में शिकायतकर्ताओं के न आने से कार्य में गति आएगी ।
5. समस्त शिकायतों का निराकरण तय अवधि में होगा जिससे प्रकरणों के न्यायालय आदि के जाने की सम्भावनायें कम हो जाएगी ।
6. प्राप्त शिकायतों के आकलन से किस विभाग के कार्य में शिथिलता बरती जा रही है तुरन्त सूचना प्राप्त हो सकेगी ।
7. विश्वविद्यालय में किन व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है उच्चाधिकारियों के संज्ञान में रहेगा ।
8. विभिन्न प्रकार की शिकायतों का अनुश्रवण एवं निस्तारण से सम्बन्धित कृत कार्यवाही सीधे कुलपति/कुलसचिव/अन्य अधिकारियों के संज्ञान में आ सकेगी ।
9. E-Governance में बढ़ावा मिलेगा ।

Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur

Internal Complaints Committee

Annual Report (April 2018- March 2019)

The Internal Complaints Committee, CSJMU functions as per the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 and University Grants Commission (Prevention, Prohibition and Redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015. It was constituted on 4th April, 2018(earlier known as Women's Grievance Redressal Cell) and reconstituted from time to time as per requirement.

Current constitution of ICC

- Dr. Anshu Yadav, Presiding Officer
- Dr. Arpita Yadav, Associate Prof., University Institute of Engineering and Technology
- Shri V.N. Tripathi, Deputy Registrar
- Dr. Pratima Asthana, Senior Assistant
- Dr. Vijaylaxmi Trivedi, Expert from NGO
- Student Representatives (for student related matters)

1. Complaint Redressal:

During the year 2018-2019, the cases before the committee were disposed - off by submitting enquiry reports to the Vice-Chancellor.

No. of complaints received	No. of complaints disposed off	No. of complaints pending for more than ninety days	Nature of action taken by the employer
4	4	Nil	1. Case was more of administrative nature and was taken up through an administrative committee 2. Both parties were counselled to arrive at mutual settlement 3. Transfer of complainee 4. Directed to act as per court order

2. Provision of Counselling and Support Services:

Counselling and support services are available for the students, staff, parents and others in need on the campus. The material informing about the same is displayed in teaching and administrative departments.

3. Awareness Raising Programmes

a) Creation and dissemination of posters, pamphlets and display boards on campus

b) Organization of 3 awareness raising workshops

Details are as follows:

Sr. No.	Nature of programme	Date
1	Awareness of constitution of ICC to new students in the orientation programme	01.09.2018
2	Awareness raising workshop for the students of UIET and MBA through counsellors	29.03.2019

Broad Plan for 2019 – 2020:

Apart from the above- mentioned activities, CSJMU plans the following:

1) Conducting capacity building programmes for Women in CSJMU campus for strengthening women confidence.

2) Establishing Gender Sensitization Units within Departments comprising students and teacher representatives to strengthen the activities of the ICC.

Dr. (Vinod Kumar Singh)
Registrar

Gram: University
E-mail: csjmu@kanpuruniversity.org, registrarcsjmuknp@gmail.com

91-(0)512-2580044
91-(0)512-2570006

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर–208024
Kalyanpur, Kanpur-208024

पत्रांक–सी.एस.जे.एम.वि.वि. / सा.प्रशा. / 5088 /2021 दिनांक: 25/8 /2021

कार्यालय–ज्ञाप

आदेशानुसार, उच्च शिक्ष अनुभाग–3 के पत्र संख्याः 1978 / सत्तर–3–2021 दिनांक 19.08.2021 के क्रम में कार्यस्थाल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम–2013 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभागों / कार्यालयों में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों हेतु अन्तरिम शिकायत समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:–

1. प्रो० सुविज्ञा अवस्थी, आचार्य, आई०बी०एम०, सी०एस०जे०एम०यू०, कानपुर।**(समन्वयक)**
2. डॉ० वृष्टि मित्रा, निदेशक, यू०आई०ई०टी०, सी०एस०जे०एम०यू०, कानपुर।
3. डॉ० विनोद कुमार वर्मा, सहायक आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी०एस०जे०एम०यू०, कानपुर।
4. डॉ० रश्मि गौतम, सहायक आचार्य, मॉस एण्ड जर्नलिज्म कम्यूनिकेशन, सी०एस०जे०एम०यू०, कानपुर।
5. डॉ० बिन्देव कुमारी सिंह, अध्यक्ष, ऑल इण्डिया वीमेन्स डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सेल, कानपुर।
6. श्रीमती अंजली मौर्या, सहायक कुलसचिव, सी०एस०जे०एम०यू०, कानपुर।
7. डॉ० सी०पी० अग्निहोत्री, एडवोकेट, कानपुर।
8. डॉ० तनुजा भटट्, सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, सी०एस०जे०एम०यू०, कानपुर।
9. श्रीमती जाग्रति त्रिपाठी, प्रधान सहायक, सी०एस०जे०एम०यू०, कानपुर।

उक्त समिति से अपेक्षा है कि कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम–2013 के अनुसार कार्यवाहियों की यथा–स्थिति पर ध्यान केन्द्रित करने का कष्ट करें।

डॉ0(अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समिति के सदस्यगण।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र संख्याः 1978 / सत्तर–3–2021 दिनांक 19.08.2021 के संदर्भ में।
3. प्रो० सुविज्ञा अवस्थी, समन्वयक, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में ईमेल आईडी बनाते हुये विभागों / संस्थानों / कार्यालयो को अपने स्तर से अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।
4. प्रबन्धक / सचिव / आचार्य / प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि महाविद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुये उक्त से सम्बन्धित [illegible] अधिक प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
5. समस्त संकायाध्यक्ष / निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्रभारी / कुलानुशासक / मुख्य वार्डन / वार्डन / डी०एस०डब्लू० / अधिकारीगण / कर्मचारीगण।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर सेंटर, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट के होम पेज पर प्रदर्शित कराने एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

सत्यमेव जयते

प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph : 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

D.O. No.F.1-7/2011(SCT) **9th September, 2021**

Sub:- Prevention of Caste Based Discrimination in Higher Education –reg.

Sir/Madam,

As you are aware, the University Grants Commission has taken various steps for the Prevention of Caste Based Discrimination in Higher Education Institutions. UGC has issued letters dated 19.07.2011, 02.07.2013, 07.03.2016, 05.09.2016, 15.05.2017, 04.06.2018, 26.06.2019 and 14.09.2020 with the request to Universities to take the following action:

- The Officials/faculty members should desist from any act of discrimination against SC/ST students on grounds of their social origin.
- The University/Institute/College may develop a page on their website for lodging such complaints of caste discrimination by SC/ST students and also place a complaint register in the Registrar/Principal Office for the purpose. If any such incident comes to the notice of the authorities, action should be taken against the erring official/faculty members promptly.
- The university and colleges should ensure that no official/faculty members indulge in any kind of discrimination against any community or category of students.
- The University may constitute a committee to look into the discrimination complaints received from the SC/ST/OBC Students /Teachers and non-teaching staff.

You are requested to advise the officials/faculty members of your university/Institute to be more sensitive while dealing with incidents of caste discrimination. You are also requested to provide information for the year 2020-21 in the prescribed format on the University Activity Monitoring Portal (UAMP) of UGC at link https://ugc.ac.in/uamp/) urgently.

The above instructions should also be circulated to all the constituent and affiliated colleges of your university for follow-up action please.

With kind regards,

Yours Sincerely,

(Rajnish Jain)

To

The Vice-Chancellor of All Universities.

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
DON'T RAG, JUST INTERACT
Visit UGC website i.e. www.ugc.ac.in & www.antiragging.in to see UGC Anti Ragging Regulations
RAGGING IN ANY FORM IS PUNISHABLE
Download ANTI RAGGING App
Are you being ragged ?
Immediately call UGC Anti Ragging Helpline 1800-180-5522 (24X7 Toll Free) Or send an e-mail to helpline@antiragging.in
Join hands to make your campus ragging free
Ministry of Education Government of India
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग University Grants Commission quality higher education for all
POCO
SHOT ON POCO F1
2023/5/30 12:22

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
WHAT CONSTITUTES RAGGING ?
As per the UGC guidelines, ragging constitutes one or more of any of the following acts:
a) Any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student.
b) Indulging in rowdy or undisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise or apprehension thereof in any fresher or any other student.
c) Asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student.
d) Any act by a senior student that prevents, disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher.
e) Exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students.
f) Any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students.
g) Any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person.
h) Any act or abuse by spoken words, emails, post, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student.
i) Any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student.
j) Any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student (fresher or otherwise) on the ground of colour, race, religion, caste, ethnicity, gender (including transgender), sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity, place of birth, place of residence or economic background.

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
ADMINISTRATIVE ACTION IN THE EVENT OF RAGGING
(As per the UGC Guidelines (Gazette of India, July 4, 2009 PART-III Sec.4)
If any student is found guilty of Ragging, one or more of the following punishments, namely:
i) Suspension from attending classes and academic privileges.
ii) Withholding / withdrawing scholarship / fellowship and other benefits.
iii) Debarring from appearing in any test / examination or other evaluation process.
iv) Withholding results.
v) Debarring from representing the institution in any regional, national, or international meet, tournament, youth festival, etc.
vi) Suspension / expulsion from the hostel.
vii) Cancellation of admission.
viii) Rustication from the institution for period ranging from 1 to 4 semesters.
ix) Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution for a specified period.
Provided that where the persons committing or abetting the act of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment.